

आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करने का मामला दर्ज किया।

पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार पौडिता शिवानी पल्ट पुरेन्द्रसिंह चौहान निवासी आई ब्लाक गोवर्धन विलास में आरोपी भगवानदास कावचवाल, अमित पुत्र भगवानदास अलका पत्नी भगवानदास, सोनम पल्ट अमित निवासी खारीवाल जागरा एमपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज करवाया जिसमें पौडित ने बताया कि मेरे पति का साथ आरोपियों से हिस्सेदारी के काम शुरू कर ब्राण्ड ब्रास्केट व दर्द एटरोरिट नाम से कपड़ों की दुकान खोली, जिसमें दोनों ने हिस्से के अनुसार निवेश किया। कुछ समय बाद अनुपास निवेश किया। कुछ समय बाद लानस नहीं होने पर आरोपियों ने रूपये वसूली करने के लिए पति की परेशान करना शुरू कर दिया। इसके चले में पति पुणेन्द्र ने 15 जुलाई को विशाख वस्तु सेवन कर ली जिसके चलते दो दिन उसकी मौत हो गई। आरोपियों द्वारा परेशान करने से पति ने आत्महत्या की। इस मामले में पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की।